संवृद्धि केन्द्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिनके लिए सभी आधार संरचनात्मक सुविधाओं के साथ बंदोबस्त किया जाना है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मुकदमें

3106. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े मुकदमों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन मुकदमों का शीघ्र निपटान किए जाने के लिये सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सरकार वर्तमान में लम्बित पड़े मुकदमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उक्त न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसके पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बकाया मामलों की संख्या कम करने के लिए सिफ़ारिश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित अन्य उच्च न्यायालयों को भी भेज दी गयी हैं ।

(ग) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 60 से बढ़ाकर 62 करने और इन पदों पर न्यायाधीश नियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है ।

सैन्ट्रल पावर एडवान्स्ड टैक्नालाजी इन्दौर, में मानचित्रों की चोरी

3107. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय विद्युत आधुनिक प्रोद्योगिकी (सेन्ट्रल पावर एडवान्सड टैक्नालाजी) इंदौर के महत्वपूर्ण मानचित्रों तथा अन्य दस्तावेजों की चोरी और उनके कुछ विदेशों में पहुंच जाने से संबंधित कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बंध में किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) :

(क) जी, हां । जांच से पता चला है कि रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है प्रगत प्रोद्योगिकी केन्द्र इन्दौर से संबंध रखने वाले कोई नक्शे अथवा दस्तावेज गुम नहीं पाए गए ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

Enforcement of Law of Torts

3108. SHRIMATI SURYAKANTA JAYAWANTRAO PATIL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government had enforced the law of TORTS in the country and also ensured for summery procedure for disposal of cases of TORTS and also the main hurdle in filing TORTS CASES is the payment of *ad valorem* Court Fee and there should be a legislation to the eqect that fixed Court fee will be payable in TORTS CASES;

(b) whether Government have received petitions for legislation for removal of corruption in different sphere of life of the country; and

(c) if so, what are the details of the action taken or proposed to be taken in this matter?